

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2020/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुखसं/3705 दिनांक 16/12/24

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:- Diversion of 3.893 ha. Forest land in favour of construction of widening and strengthening of bhanwargarh to nahargarh road (MDR-47) 0/475 TO 19/00 (Proposal No. FP/RJ/ROAD/40677/2019)

संदर्भ:-आपका पत्रांक 6678 दिनांक 21.11.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. **पालना अपूर्ण:-**उप वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया है कि पूर्व में निर्मित सड़क 1980 से पूर्व की है। अतः उसे शामिल नहीं किया गया है। जबकि पूर्व में उसका प्रत्यावर्तन नहीं किया है। वर्तमान में सड़क प्रस्ताव 16 मीटर चौड़ाई में widening and strengthening के लिए प्राप्त हुआ है। पूर्व सड़क का क्षेत्र भी प्रत्यावर्तन में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
2. **पालना अपूर्ण:-**प्रस्ताव में गैर वनभूमि 3.435 है० एवं वनभूमि 3.893 है० अर्थात् कुल 7.328 है० होती है। प्रस्ताव में 0/475 to 19/00 km अर्थात् 18.525 कि.मी. रोड़ निर्माण की जानी है। अतः 11.17 है० कुल भूमि की आवश्यकता होगी जिसमें से वनक्षेत्र 3.893 है० कम करने पर 7.2794 है० गैर वनभूमि होगी जिसका अंकन किया जाना है।
3. **पालना नहीं:-**प्रस्ताव में उप वन संरक्षक द्वारा आठ माह प्रत्युत्तर में डिजीटल सीमाओं को सही करने की कार्यवाही जारी होना अवगत कराया है जो उचित नहीं है।

उक्त बिन्दुओं की पालना अपने स्तर, उप वन संरक्षक/यूजर ऐजेन्सी से कराया जाकर सूचना शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2020/बारां रोड्स/एफसीए/प्रमुखसं/3706-07 दिनांक 16/12/24
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, बारां।
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-शाहबाद, जिला बारां।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर